न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 4380–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 19–10–11 पारित नायब तहसीलदार, क्षेत्र ईशानगर, तहसील व जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 01/अ–12/2011–12.

श्रीमती पूजाराजा पत्नि विश्वनाथ सिंह चंदेल,
निवासी छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर

––– आवेदक

विरूध्द

1– अनुपम अग्रवाल तनय नारायण दास अग्रवाल
निवासी बुन्देल खण्ड गैरिज, जवाहर रोड,
छतरपुर, म0प्र0
2– म0प्र0 शासन

––– अनावेदकगण

श्री बी0एस0 भदौरिया, अभिभाषक – आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक– अनावेदक क0–1

आदेश

(आज दिनांक 25.8. ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, क्षेत्र ईशानगर, तहसील व जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 01/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 19–10–11 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक अनुपम अग्रवाल व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं0 1615/1अ, 1615/2/1, तथा 1615/2/2 कुल रकबा 1.215 हे. के सीमांकन हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार व्दारा प्रकरण पंजीबध्द कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु पत्र जारी करने के आदेश दिये। राजस्व निरीक्षक व्दारा सरहदी कृषकों को सूचना जारी कर प्रश्नाधीन भूमि का दिनांक 02–10–11 को हल्का पटवारी के साथ सीमांकन किया गया। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा, नक्शा ट्रेस, फील्ड बुक तथा सूचनापत्र के साथ नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। सीमांकन पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 19–10–2011 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन एव तरमीम को स्वीकृत किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्र0 1616 रकबा 0. 210 हे. है, जो अनावेदक क्र0–1 की प्रश्नाधीन भूमि से लगी है। आवेदक को अपने खेत पर जाने के लिये अनावेदक क्र0–1 की भूमि से होकर जाना पड़ता है और अन्य कोई रास्ता आवेदक की भूमि में जाने के लिये नहीं है। नायब तहसीलदार व्दारा आवेदक को सूचित किये बिना सीमांकन की कार्यवाही की गयी है। सीमांकन कार्यवाही के आधार पर अनावेदक क्र0–1 व्दारा आवेदक के खेत पर जाने का रास्ता का बन्द कर दिया है जिसके कारण वह कृषि कार्य नहीं कर पा रही है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक व्दारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19–10–11 के विरूध्द निगरानी 18–12–12 को प्रस्तुत की गयी है जो समयावधि बाह्य है। उनका यह भी तर्क है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा विधिवत सूचना देने के बाद प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है। सीमांकन संबंधी प्रतिवेदन नक्शा ट्रेश, पंचनामा, फील्ड बुक सहित नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

5/ आवेदक ने निगरानी आवेदन के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें रास्ता खुलवाये जाने के प्रकरण में अनावेदक व्दारा जबाव प्रस्तुत करने पर उसे सीमांकन आदेश की जानकारी दिनांक 18–12–12 को होना दर्शाया गया है और अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–10–11 के विरूध्द राजस्व मण्डल में दिनांक 26–12–12 को निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह निगरानी लगभग 13 माह बाद प्रस्तुत की गयी है, जबकि राजस्व मण्डल में निगरानी 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाना चाहिये थी। आवेदक व्दारा सीमांकन आदेश की जानकारी का श्रोत रास्ते के प्रकरण में अनावेदक व्दारा जबाव प्रस्तुत करने पर होना बताया है, किन्तु रास्ते के प्रकरण में अनावेदक व्दारा किस दिनांक को जबाव प्रस्तुत किया गया, इसका उल्लेख अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में नहीं किया गया और ना ही अपने कथन के समर्थन में रास्ते के विचाराधीन प्रकरण का कमांक या आदेश पत्रिका की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है। ऐसी दशा में आवेदक का कथन प्रमाण के अभाव में मान्य योग्य नहीं है। आवेदक व्दारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी 18–12–12 तथा आदेश की प्रति 21–12–12 प्राप्त होना अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दर्शाया है। आदेश की प्रति 21–12–12 को प्राप्त होने पर 05 दिन बाद 26–12–12 को

निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है और इन 5 दिनों का विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण आवेदक व्दारा नहीं दिया गया है। विलम्ब को न्यायाहित में तभी माफ किया जा सकता है जब प्रत्येक दिन का समुचित स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाय। पी.के.रामचन्द्रन विरूध्द केरला राज्य तथा अन्य (ए आई आर 1998 एस सी 2276) में मान. उच्चतम न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। भागचन्द वि. गिरधारीलाल यादव (2013 :एकः एम पी एल जे पृष्ठ 643) में मान. उच्च न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी है कि –

"धारा 5 विलम्ब की माफी– न्यायिक शक्ति का वैवेकिक अधिकार का प्रयोग विधि के अनुसार ज्ञात युक्तियुक्त सीमाओं में किया जाना चाहिये– झूठा आधार धारा 5 के कार्यक्षेत्र एवं व्याप्ति के भीतर पर्याप्त कारण कभी नहीं हो सकता।"

जिला सहकारी केंन्द्रीय बैंक मर्या. रीवा वि. काशीनाथ शर्मा (1993 रा. नि. 73) में भी राजस्व मण्डल व्दारा यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया– विलम्ब माफी हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। लंगरी तथा अन्य वि. छोटा तथा अन्य (1992 रा.नि. 289) में मान. उच्च न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी है कि –

"धारा 5 व्याप्ति– अधिकारिता की प्रकृति – वैवेकिक है– पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नही है– पर्याप्त कारण का सबूत– अधिनियम की धारा 5 व्दारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है– न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि व्दारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता।"

म0प्र0 राज्य वि. शान्तीबाई (1989 :एकः एम पी वीकली नोट, नोट नं0 211) में भी मान. उच्च न्यायालय व्दारा यही व्यवस्था दी है कि विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाने पर विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता।

ऐसी दशा में विलम्ब माफी का पर्याप्त आधार नहीं होने से आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी समयावधि बाह्य होने से सुनवायी योग्य नहीं है।

6/ मैने प्रकरण के गुण–दोष पर भी विचार किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 30–9–11 को सूचनापत्र जारी कर दिनांक 02–10–11 को सुबह 9.00 बजे प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन की सूचना दी गयी है। दिनांक 02–10–11 को किये गये सीमांकन पंचनामें में ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं। सीमांकन प्रतिवेदन के साथ फील्ड बुक भी प्रस्तुत की गयी है। सीमांकन किस प्रकार त्रुटिपूर्ण है, इस संबंध में आवेदक व्दारा ना तो निगरानी आवेदनपत्र में ही उल्लेख किया है और ना ही लिखित बहस में दर्शाया गया है। सीमांकन का उद्देश्य भूमिस्वामी को उसकी भूमि की सीमायें ज्ञात कराना है। यदि अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर रूढ़िगत रास्ता आवेदक की भूमि पर जाने के लिये है तो इसे सक्षम न्यायालय में साक्ष्य से सिध्द किया जा सकता है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के सीमांकन आदेश में निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 19–10–11 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0